निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं0 पटना 505) पटना, बुधवार, 12 जून 2024

सं० 27 / आरोप–01–37 / 2020–4879 / सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
20 मार्च 2024

श्री राजेश्वर प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 986 / 2011, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा के विरूद्ध समाहर्ता, शेखपुरा के पत्रांक–35 दिनांक–12.03.2020 द्वारा इन्हें एन0एच0–82 बिहार शरीफ–बरबीघा–मोकामा 2 लेन सड़क परियोजना में खतियानी कागजातों एवं स्थल के आधार पर ड्राफ्ट 03 ए0 के जांचोपरान्त हस्ताक्षरित प्रति अधिसूचना एवं गजट प्रकाशन का निदेश दिये जाने पर इनके द्वारा सड़क परियोजना के लिए ड्राफ्ट 03 ए0 के प्रकाशन में कई खेसरों के भूमि की प्रकृति खतियान से अलग हट कर आवासीय एवं व्यवसायिक कर दिया गया एवं वकाश्त भूमि को बिना रैयतीकरण किये हुए उसे 3 ए0 में आवासीय एवं व्यवसायिक घोषित करने से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

3. समाहर्ता, शेखपुरा से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक–11501 दिनांक–30.09.2021 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्मारोपरान्त श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण दिनांक–21.07.2022 प्राप्त हुआ। तदुपरान्त विभागीय पत्रांक–14633 दिनांक–23.08.2022 से श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी, किन्तु स्मारोपरान्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से मंतव्य अप्राप्त रहा।

4. श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2072 दिनांक 30.01.2023 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय जांच संचालित की गयी, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. श्री प्रसाद की वार्ध्यक्य सेवानिवृति (दिनांक 31.01.2023) को दृष्टिपथ में रखते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 2999 दिनांक 13.02.2023 द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय जांच को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी में सम्परिवर्तित किया गया है।

6. आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 7107 दिनांक 11.09.2023 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन में आरोप मद संख्या 1 एवं 3 को प्रमाणित तथा मद संख्या 2 को आंशिक प्रमाणित बताया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 18385 दिनांक 29.09.2023 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रसाद का लिखित अभिकथन दिनांक 11.12.2023 प्राप्त हुआ।

7. श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा विभागीय निदेशों/प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद के लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी के अन्तर्गत इनके पेंशन से 5 प्रतिशत की राशि अगले दो वर्षों तक अवरूद्ध रखने की शास्ति विनिश्चित की गयी है।

8. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 23499 दिनांक 28.12.2023 सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 4666 दिनांक 19.02.2024 द्वारा दंड को समानुपातिक नहीं बताया गया है, किन्तु आयोग के द्वारा कोई तथ्य/कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विचारोपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये अभिमत से असहमत होते हुए विनिश्चित दंड प्रस्ताव को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है।

9. अतएव श्री राजेश्वर प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 986/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, शेखपुरा को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के संगत प्रावधान के तहत बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी के अन्तर्गत इनके पेंशन से 5 प्रतिशत की राशि अगले दो वर्षों तक अवरूद्ध रखने की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रविन्द्र नाथ चौधरी,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)505-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in